

अनुमति की शर्तें ।

- (1) जहाँ भवन/पुस्तकालय के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व विवाद नहीं करती है ।
- (2) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में नियम का कोई समझौता नहीं होगा तथा न ही विवाद किसी स्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (3) पहले निर्माण कार्य प्रारम्भ करने ही आवेदन नियम को सुचित करेगा ।
- (4) स्वीकृत नकल को विधेयत निर्माण करते जाने पर स्वीकृत विरस्त की जा सकती है ।

स्वास्थ्य विज्ञानी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 655 दिनांक 30/3/2020

पत्नी कादरान बर्बराकडे डा. जी गुरुराम

सी.पी.

आवासीय

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000

पारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वामित्व रशि रुबये 11657/- जमा

जसिये रसीद संख्या 9069/9845, 9846

दिनांक 30/3/2020 को जमा करा दी है ।

P.N. No = 283 पुस्तकी अगर नहीं कोही

30/3/2020

सहायक नगर निर्माता
नगर निगम, जोधपुर


7166283363